भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 5592
दिनांक 04.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

नौकरी सहायता कार्यक्रम

5592. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के पास विदेशों में रोजगार के अवसर तलाश रहे भारतीय नागरिकों को नौकरी सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम या पहल है;
(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इनके उद्देश्य, कार्यान्वयन तंत्र तथा फोकस के क्षेत्र क्या हैं;
(ग) विगत पांच वर्षों में इन नौकरी सहायता कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी है और देशवार आंकड़े क्या हैं तथा वे विशिष्ट क्षेत्र कौन-से हैं, जिनमें ये नौकरियां प्राप्त हुई;
(घ) विगत पांच वर्षों में भारतीय नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा विदेशी सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं के सहयोग से कितने रोजगार मेले, भर्ती अभियान या अन्य समान कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और
(ङ) क्या सरकार विदेशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के कल्याण, विधिक अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विदेशी सरकारों के साथ कोई सहयोग कर रही है और यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सामने आए जहां ऐसी सहायता प्रदान की गई?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से **(ङ)** सरकार भारतीय कामगारों के साथ-साथ छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, व्यापारियों आदि की वैश्विक आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार गंतव्य देशों के साथ प्रवासन और आवाजाही भागीदारी, श्रम आवाजाही और श्रम कल्याण जैसे विविध समझौता ज्ञापनों/करारों के माध्यम से भारतीय कार्यबल के लिए आवाजाही को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क और यूके के साथ प्रवासन और आवाजाही भागीदारी पर करार/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जापान, पुर्तगाल, ताइवान, मॉरीशस, इज़राइल और मलेशिया के साथ श्रम आवाजाही करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, खाड़ी सहयोग देशों (जीसीसी) जैसे बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन के साथ श्रम और जनशक्ति सहयोग करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो श्रम और जनशक्ति मुद्दों पर सहयोग के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। जीसीसी देशों के घरेलू कामगारों, जो अक्सर सबसे कमजोर श्रेणी में आते हैं, के विशिष्ट हितों की रक्षा के लिए मंत्रालय ने सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापनों और करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

अपेक्षित उत्प्रवास जांच (ईसीआर) पासपोर्ट रखने वाले तथा **18** अधिसूचित ईसीआर देशों में से किसी में प्रवास करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए विदेश में रोजगार की प्रक्रिया ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से की जाती है। वेब-आधारित एप्लिकेशन उत्प्रवास की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी, सुरक्षित, वैध, मानवीय, कुशल, सुविधाजनक और तेज बनाता है। यह विदेशी नियोक्ताओं (एफई), पंजीकृत भर्ती एजेंटों (आरए) और संभावित प्रवासियों सहित सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाता है तथा विदेश मंत्रालय को व्यापक और ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करने में सक्षम बनाता है। प्रवासियों और अन्य हितधारकों को किसी भी प्रश्न/समस्या का समाधान करने में सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन और सहायता प्रणाली भी उपलब्ध है। फर्जी नौकरी की पेशकश और धोखाधड़ी/अवैध भर्ती एजेंसियों के बारे में सलाह/अलर्ट पोर्टल पर उपलब्ध हैं। फरवरी **2025** तक देश में कुल **3,281** अवैध एजेंटों को ई-माइग्रेट पोर्टल पर अधिसूचित किया गया है।

दिनांक **14** अक्टूबर **2024** को एक अद्यतन, नया और उपयोगकर्ता के अनुकूल ई-माइग्रेट-वी **2.0** पोर्टल लॉन्च किया गया। दुनिया भर में उपयोगकर्ताओं द्वारा दस्तावेजों के भंडारण और पहुंच प्रदान करने के लिए संशोधित पोर्टल को डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किया गया है; देश भर में **5** लाख से अधिक केंद्रों के अपने नेटवर्क के माध्यम से उत्प्रवास संबंधी सेवाओं की डिलीवरी को सक्षम करने के लिए कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी); अखिल भारतीय ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए उमंग; क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना तक पहुंच को सक्षम करने के लिए भाषिणी; शून्य लेनदेन शुल्क के साथ एक अतिरिक्त डिजिटल भुगतान गेटवे के प्रावधान के लिए एसबीआईईपे; प्रवासियों की सहज और परेशानी मुक्त यात्रा के लिए आव्रजन ब्यूरो; पासपोर्ट के ई-सत्यापन के लिए पासपोर्ट सेवा पोर्टल, अनिवार्य पीबीबीवाई पॉलिसी की खरीद के लिए बीमा कंपनियां आदि। ई-माइग्रेट मोबाइल ऐप भी पहली बार विकसित किया गया है और यह गूगल प्ले स्टोर तथा सरकारी ऐप स्टोर पर उपलब्ध है।ईमाइग्रेट मोबाइल ऐप भी पहली बार विकसित किया गया है यह ऐप हितधारकों को पोर्टल पर उपलब्ध प्रमुख सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है, जिसमें आवेदन की स्थिति पर नज़र रखना, पंजीकृत और अपंजीकृत भर्ती एजेंटों की सूची प्राप्त करना, शिकायत दर्ज करना आदि शामिल हैं।

ये कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जैसे निर्माण, तेल और गैस, खाद्य और पेय उद्योग, आतिथ्य, बिक्री, रखरखाव , घरेलू कार्य, भंडारण और संभार तंत्र, स्वास्थ्य सेवा,

इंजीनियरिंग, आईटी, वित्त, खेती, विनिर्माण, परिवहन, बंदरगाह और शिपिंग, पर्यटन, खनन, शिक्षा, थोक, बिक्री, ऑटोमोबाइल, घरेलू कार्य जैसे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, नौकरानियां, क्लीनर और रसोइया आदि।

2020-2025 (01.01.2020 से **26.03.2025)** के दौरान विदेशी संस्थाओं के साथ रोजगार के लिए भारतीय प्रवासियों को ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से दिया गया उत्प्रवास अनुमोदन का वर्ष-वार और देश-वार विवरण नीचे दिया गया है:

देश	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
सऊदी अरब	**44316**	**32845**	**178622**	**200713**	**167598**	**37575**
संयुक्त अरब अमीरात	**17891**	**10844**	**33233**	**71688**	**111308**	**46486**
कतर	**8907**	**49579**	**30871**	**30683**	**23785**	**4987**
कुवैत	**8107**	**10158**	**71432**	**48212**	**39862**	**12680**
ओमान	**7206**	**19453**	**31994**	**21336**	**24258**	**5615**
बहरीन	**4175**	**6383**	**10232**	**7376**	**8607**	**1814**
मलेशिया	**2435**	**36**	**12836**	**15319**	**5606**	**1348**
इराक	**759**	**935**	**1430**	**1599**	**2761**	**454**
जॉर्डन	**317**	**2386**	**2487**	**1187**	**3137**	**468**
लेबनान	**21**	**54**	**282**	**200**	**130**	**2**
थाईलैंड	**10**	**1**	**3**	**4**	**10**	**0**
इंडोनेशिया	**1**	**0**	**3**	**0**	**3**	**7**
दक्षिण सूडान	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**19**
सूडान	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**

*****